बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

21/04/2026

सं0 :– 03 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)अरवल–29 / 2022 1274 पटना, दिनांक :–

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 580 दिनांक 14.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती स्वाती चौरसिया, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01264) को विशेष निगरानी टीम द्वारा शिविर कार्यालय, कुर्था में रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके फलस्वरूप अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 6616 दिनांक 08.10.2025 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर इस कार्यालय को अप्राप्त है। इसी क्रम में निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1727 दिनांक 08.10.2025 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में निदेशालय पत्रांक 7129 दिनांक 21.11.2025 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं निगरानी विभाग से प्राप्त पत्र तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत स्थिति यह है कि आरोपी पर श्री गौरव कुमार, पिता–कमलेश शर्मा, ग्राम+पो0–बारा, थाना–कुर्था, जिला अरवल से जमीन का पर्चा निर्गत करने के एवज में एक लाख रूपये की मांग करने का आरोप है। पैसे की मांग करने पर वादी द्वारा निगरानी टीम को इसकी जानकारी दी गयी। तत्पश्चात् विशेष निगरानी टीम द्वारा ट्रैप के माध्यम से आरोपी को रिश्वत के पैसे के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही निगरानी विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि श्री राज के विरूद्ध धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2)(ए) बी0एन0एस0 2023 के अन्तर्गत उपरोक्त आरोप के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य आमजनों के सहयोग से किया जाना वाला कार्य है, जिसमें आमजनो की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण है। आरोपी द्वारा इस तरह का कृत्य करके विभाग की छवि धूमिल की गयी है एवं इनके कृत्य से आमजनो में सर्वेक्षण कार्य के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी। यदि इनका संविदा अधिरोपित दण्ड के निर्णय तक बनाए रखा जाता है, तो इसका का प्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर भी पड़ सकता है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा एवं विशेष निगरानी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशाधित नियमावली, 2022 की कंडिका – 8(4) के आलोक में श्रीमती स्वाती चौरसिया, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01264), बंदोबस्त कार्यालय, अरवल का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

Suharsh 13/04/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)अरवल–29/2022..1274.. **पटना, दिनांक** :– 21/04/2026

प्रतिलिपि :– श्रीमती स्वाती चौरसिया, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01264), बंदोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 13/04/26
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)अरवल–29/2022..1274.. **पटना, दिनांक** :– 21/04/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 13/04/26
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)अरवल–29/2022..1274.. **पटना, दिनांक** :– 21/04/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 13/04/26
भू–अभिलेख एवं परिमाप